तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18/8/21	[illegible] दिनांक 8/9/21
8/9/21	[illegible] दिनांक 6/10/21
6/10/21	[illegible] दिनांक 12/11/21
12/11/21	पत्रावली आज दिनांक 12/11/2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत ग्राम पंचायत कालियादर में आयोजित कैम्प में पेश हुई। वादीया ने दौरान कैम्प उपस्थित होकर ग्राम दाणी चारण के वर्तमान खाता संख्या 11 में ओमलीदेवी पत्नी रामेश्वर व ग्राम बाडेट के खाता संख्या 6 में अमली पत्नी रामेश्वर के स्थान पर अमली पत्नी शिशपाल दर्ज करने का अनुरोध किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगा 6 (जो कि दोनों खातों में सहखातेदार है) के द्वारा उक्तानुसार नाम दुरुस्त किये जाने में अपनी सहमति पूर्व में प्रदान की जा चुकी है। कैम्प में उपस्थित मौजिज व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई। सभी ने उक्तानुसार दुरुस्ती करने में सहमति दी। तहसीलदार मलसीसर ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांक 9/5/21 में अभिशंसा की है। अतः वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम दाणी चारण के खाता संख्या 11 व ग्राम बाडेट के खाता संख्या 6 में ओमली पत्नी रामेश्वर, अमली पत्नी रामेश्वर के स्थान पर अमली पत्नी शिशपाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

प्रभारी [illegible] 2021

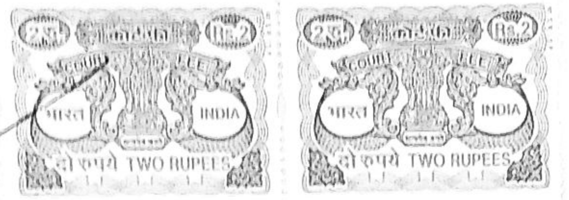

Reader check & Report
11/1/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,

मलसीसर।

उमलीदेवी आयु 61 वर्ष पत्नी शीशपाल जाति जाट निवासी ढाणी चारण (कालियासर) तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

..... वादीया

बनाम

1— चुन्नीलाल उम्र 52 वर्ष पुत्र केशुराम	समस्त जाति जाट निवासीगण
2— ओमप्रकाश उम्र 50 वर्ष पुत्र केशुराम	ढाणी चारण (कालियासर)
3— जयसिहं उम्र 25 वर्ष पुत्र मोतीराम	तहसील मलसीसर जिला
4— मोहरसिहं उम्र 56 वर्ष पुत्र केशुराम	झुन्झुनूं (राज.)
5— शिशपाल उम्र 61 वर्ष पुत्र भानीराम	
6— सोहनलाल उम्र 70 वर्ष पुत्र केशुराम	

7— राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं (राज.)

.... प्रतिवादी

<u>दावा बाबत घोषणार्थ एंव रिकार्ड दुरूस्ती</u>

महोदय,

वाद वादीया नीचे लिखे अनुसार पेश है:—

1— यह कि वाके ग्राम ढाणी चारण (कालियासर) पटवार हल्का कालियासर की सरहद में अवस्थित आराजी ख.न. 144 रकबा 1.83 हैक्टर, ख.न. 222 रकबा

3.36 हैक्टर, ख.न. 230 रकबा 2.73 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 7.92 हैक्टर भूमि स्थित है तथा वाके ग्राम बाडेट पटवार हल्का बाडेट में ख.न. 548 रकबा 5.44 हैक्टर भूमि वादीया एंव प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 6 की सयुंक्त खातेदारी काश्तकारी की जमीन है। जिस पर वादीया एंव प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 6 सयुंक्त रूप से काबिज काश्त है कब्जा काश्त बाबत पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है।

2— यह कि वादीया की शादी पूर्व में रामेश्वर के साथ हुई थी शादी के कुछ समय पश्चात ही रामेश्वर का स्वर्गवास हो गया तथा उनके कोई सन्तान भी पैदा नहीं हुई शादी के कुछ समय पश्चात रामेश्वर का नाऔलाद स्वर्गवास होने से रामेश्वर के हिस्से की भूमि उमलीदेवी के हिस्से में आ गई जिस पर उमलीदेवी काबिज काश्त रही।

3— यह कि रामेश्वर के स्वर्गवास के समय उमलीदेवी की उम्र काफी छोटी थी इसलिये मौजीज व्यक्तियों एंव परिवार वालों की समझाईस से स्वेच्छा से उमलीदेवी ने शिशपाल के साथ पुर्न विवाह कर लिया तथा उमलीदेवी के समस्त दस्तावेजों में भी पति का नाम शिशपाल दर्ज है तथा उमलीदेवी को संतान भी शिशपाल से पुर्नविवाह होने के पश्चात ही पैदा हुई परन्तु राजस्व रिकार्ड में उमली पत्नी रामेश्वर दर्ज चलतारहा जो कि काबिले दुरूस्ती हैं।

4— यह कि उमलीदेवी की सन्तान एंव स्वयं सभी सरकारी दस्तावेजों में शिशपाल का नाम दर्ज है इसलिये वादीया अपने राजस्व रिकार्ड में भी उमलीदेवी पत्नी रामेश्वर की बजाय उमलीदेवी पत्नी शिशपाल दर्ज करवाने की अधिकारिणी है।

5– यह कि वादीया के नाम से बने सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जिनमें पति का नाम शिशपाल दर्ज है।इसलिये भी वादीया का नाम उमलीदेवी पत्नी रामेश्वर की बजाय उमलीदेवी पत्नी शिशपाल दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

6– यह कि वादीया को राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सभी सरकारी सहायताओं से उक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम उमली पत्नी रामेश्वर के कारण वंचित होना पड़ रहा है इसलिये भी न्यायहित में उक्त राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित है।

7– यह कि वादीया ने अपने राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त कर तहसीलदार महोदय से अपने समस्त दस्तावेज दिखाकर नाम दुरूस्त करने के लिये कहा तो श्रीमान जी के यहां दावा पेश करने की सलाह दी इस तरह उक्त रोज श्रीमान जी के समक्ष दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

8– यह कि लेण्ड होल्डर की हैसियत से तहसीलदार मलसीसर को पक्षकार दावा बनाया गया है।

9– यह कि दावा श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है।

10– यह कि वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

11– अनुतोष – वाद वादीया मय शपथ पत्र एंव डुप्लीकेट प्रति के पेशकर निवेदन है कि वाद वादीया डिक्री इस अमर का फरमाया जावे किः–

क– यह कि वाके ग्राम ढाणी चारण (कालियासर) पटवार हल्का कालियासर की सरहद में अवस्थित आराजी ख.न. 144 रकबा 1.83 हैक्टर, ख.न. 222 रकबा 3.36 हैक्टर, ख.न. 230 रकबा 2.73 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 7.92

ह. वि
उमली देवी

हैक्टर भूमि स्थित है तथा वाके ग्राम बाडेट पटवार हल्का बाडेट में ख.न. 548 रकबा 5.44 हैक्टर भूमि में वादीया का नाम उमली पत्नी रामेश्वर की बजाय उमलीदेवी पत्नी शिशपाल दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे।

ख– यह कि वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में उमली पत्नी रामेश्वर के स्थान पर उमलीदेवी पत्नी शिशपाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाया जावे।

ग– यह कि अन्य सिद्दि जो भुल से चाही जाने से रह गई हों और वादीयो हक में हो हस्ब कायदा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मुफीद वादी फरमाई जावे।

दिनाकं – 18.12.2020

प्रार्थीया– वादीया

उमलीदेवी आयु 61 वर्ष पत्नी शीशपाल जाति जाट निवासी ढाणी चारण (कालियासर) तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

<u>तसदीक</u>

मैं उमलीदेवी आयु 61 वर्ष पत्नी शीशपाल जाति जाट निवासी ढाणी चारण (कालियासर) तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं सशपथ पूर्वक तसदीक करतीहुं कि वाद पत्र की धारा 1 लगायत आखरी मेरी स्वयं की जानकारी में तथा कानूनी तथ्य कानूनी सलाहकार की सलाह से सही एंव सत्य होना स्वीकार करती हुं।

दिनाकं– 18.12.2020